हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 फरवरी, 2020

खण्ड–1, अंक–1

अधिकृत विवरण

सील

विशय सूची

वीरवार, 20 फरवरी, 2020

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

शोक प्रस्ताव

हरियाणा विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट

सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र

बैठक का स्थगन

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 फरवरी, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल महोदय का अभिभाशण
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 18 के अनुसरण में, मुझे यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय ने आज दिनांक 20 फरवरी, 2020 को प्रातः 11:00 बजे हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित करने की कृपा की है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है।

(राज्यपाल महोदय के अभिभाशण की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई।)

माननीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सभासदो!

चौदहवीं हरियाणा विधान सभा के प्रथम बजट सत्र में आप सभी का अभिनन्दन करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर, मैं आप सबको षुभकामनाएं देता हूँ और आषा करता हूँ कि आप हरियाणा की जनता के कल्याण हेतु रचनात्मक और उपयोगी विचार–विमर्ष करेंगे।

2. मेरी सरकार ने वर्श 2020 को सुषासन संकल्प वर्श के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार सुषासन की नई–नई पहलों और सभी विभागों द्वारा राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं प्रदान करने पर वर्श भर बल देगी। मेरा विष्वास है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके सहजता से सरकारी सेवाएं मिलने के फलस्वरूप ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। आगामी सुषासन दिवस के अवसर पर 25 दिसम्बर, 2020 को मेरी सरकार ऐसी पहलों पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेगी और अनुकरणीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों को सम्मानित भी किया जाएगा।

3. माननीय सभासदो! मुझे यह कहते हुए अति हर्श हो रहा है कि मेरी सरकार नये जनादेष के साथ सभी क्षेत्रों में निरन्तर कार्यरत है। मार्केटिंग सीजन 2019–20 के दौरान 6 लाख 19 हजार मीट्रिक टन सरसों की रिकॉर्ड खरीद की गई। इसके अलावा 13 हजार

156 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद भी की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की पूरी राषि किसानों के खातों में सीधे जमा कराई गई। तिलहनों के उत्पादन को

प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए हरियाणा को 2 जनवरी, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रषस्ति पुरस्कार (कृशि कर्मण अवार्ड) प्रदान किया गया।

4. खरीद में पूर्ण पारदर्षिता सुनिष्चित करने के लिए 'किसान पंजीकरण पोर्टल (मेरी फसल मेरा ब्यौरा) के माध्यम से फसलों की अधिकतम मात्रा में खरीद करने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें चार मानदण्ड नामतः किसान द्वारा स्वयं प्रविश्टि, ई–गिरदावरी, कृशि विस्तार अधिकारियों द्वारा सत्यापन और उपग्रह चित्रों के माध्यम से प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। इस माध्यम से चालू रबी सीजन में अब तक 6 लाख 40 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण किया गया है। चालू वित्त वर्श के दौरान 93 लाख 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई और किसानों को इसके लिए 17,222 करोड़ 40 लाख रुपये की राषि का भुगतान किया गया। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2019–20 के दौरान 11,870 करोड़ 62 लाख रुपये की राषि से 64 लाख 69 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद 1,835 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से की गई।

5. मेरी सरकार किसानों को बागवानी की मुख्य फसलों के लाभकारी मूल्य सुनिष्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाजार में उपज के भाव कम होने की स्थिति में 'भावांतर भरपाई योजना' के तहत किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। हाल ही में बारह नई सब्जियों नामतः गाजर, मटर, बैंगन, षिमला मिर्च, भिण्डी, मिर्च, घीया, करेला, हल्दी, बन्दगोभी, मूली, लहसुन तथा तीन फलों – अमरूद, आम और किन्नू को भी इस योजना में षामिल किया गया है।

6. मेरी सरकार ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन, भण्डारण तथा फलों व सब्जियों के रेफ्रिजरेटिड ट्रांसपोर्ट के लिए इंटिग्रेटिड पैक हाऊसिज़ स्थापित कर रही है और मध्यस्थों को हटाकर किसानों की बाजार तक सीधी पहुंच सुनिष्चित कर रही है। सरकार ने 14 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से 3 ऐसे पैक हाऊस स्थापित किये हैं और वर्श 2020 में विभिन्न बागवानी फसल समूहों में 181 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से 52 और ऐसी परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी।

7. मेरी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सामूहिक इनपुट मैनेजमैंट, उपज संग्रह और उनकी कृशि व्यापार गतिविधियों के प्रबन्धन को बढ़ावा देने के लिए 'किसान उत्पादक संगठनों' की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। अब तक राज्य के विभिन्न खण्डों में 409 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा चुके हैं और वर्श 2022 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 1,000 करने की योजना बनाई गई है।

8. रासायनिक खादों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से किसानों को लगभग 81 लाख 69 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये। इस वर्श कृशि विपणन समितियों की 111 मंडियों और सबयार्ड में मृदा जांच प्रयोगषालाएं स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है। इन जांच परिणामों के आधार पर खण्ड स्तरीय उर्वरता मानचित्र तैयार किये जाएंगे। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड गांव सेरसा में मसाला मण्डी, पिंजौर में सेब मण्डी और गुरुग्राम में फूल मण्डी भी विकसित करेगा।

9. पर्यावरण सुरक्षा के लिए फसल अवषेश प्रबंधन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया। मषीनों पर 80 प्रतिषत अनुदान प्रदान करके लगभग 1,672 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये गये हैं। फसल अवषेशों के स्थान पर ही प्रबंधन के लिए लगभग 5,228 किसानों को 50 प्रतिषत अनुदान पर उपकरण प्रदान किए गए हैं। फसल अवषेशों को दूसरे स्थान पर ले जाकर इनका प्रबंधन सुनिष्चित करने के लिए विपणन व्यवस्था करने के भी प्रयास किये गये हैं।

10. आपको यह बताते हुए मुझे बड़ी खुषी का अनुभव हो रहा है कि हरियाणा के जो किसान मूलधन की अदायगी समय पर करते हैं, उन्हें बिना किसी ब्याज के फसली ऋण प्रदान किये जा रहे हैं। वर्श 2018–19 के दौरान लगभग पांच लाख किसानों को 127 करोड़ 88 लाख रुपये की ब्याज राहत दी गई है। प्राथमिक कृशि सहकारी समितियों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले ऐसे किसानों, जो ऋण की अदायगी न करने के कारण डिफाल्टर हो गये थे, उन्हें बड़ी राहत पहुंचाने के लिए पहली सितम्बर, 2019 से एकमुष्त निपटान योजना षुरू की गई। इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी कृशि समितियों के लगभग 8 लाख 50 हजार डिफाल्टर सदस्यों में से लगभग 4 लाख 14 हजार सदस्यों ने 31 जनवरी, 2020 तक 858 करोड़ 77 लाख रुपये की राषि के ब्याज का लाभ उठाया है। इसी प्रकार, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 31,749 डिफाल्टर कर्ज़दारों में से 7,634 ने 31 जनवरी, 2020 तक लगभग 497 करोड़ 40 लाख रुपये की राषि के ब्याज का लाभ उठाया है। हरियाणा राज्य सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक की वसूली से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत पहली सितम्बर, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक 10 हजार 564 डिफाल्टर कर्ज़दारों ने 83 करोड़ 8 लाख रुपये की राषि का लाभ उठाया है।

11. मेरी सरकार का लक्ष्य भू–रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करना है ताकि भू–स्वामी किसी भी समय अपनी सम्पत्तियों और भू–रिकॉर्ड का ब्यौरा ऑनलाइन प्राप्त कर सकें। इसके लिए समेकित हरियाणा भू–रिकॉर्ड सूचना प्रणाली (वैब हैलरिस)

विकसित की गई है और इसे 102 तहसीलों व उप–तहसीलों में लागू किया गया है और 30 जून, 2020 तक पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

12. मेरी सरकार बोई गई फसल के सटीक आंकड़े सुनिष्चित करने और प्राकृतिक आपदाओं से फसलें खराब होने की स्थिति में उचित मुआवज़ा प्रदान करने के लिए खरीफ 2019 में पहली बार की गई ई–गिरदावरी को निरन्तर जारी रखेगी।

13. राज्य सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से समूचे ग्रामीण, षहरी और आबादी देह क्षेत्रों की बड़े पैमाने पर जीआईएस मैपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना भी षुरू की है। गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' करने का एक पायलट प्रोजैक्ट 25 दिसम्बर, 2019 को करनाल जिले के गांव सिरसी के लिए षुरू किया गया। लाल डोरा के भीतर स्थित भूमि और सम्पत्तियों की रजिस्टर्ड डीड उनके मालिकों को वितरित की गई है। अब 15 जिलों के 75 गांवों की मैपिंग के साथ–साथ सोनीपत, करनाल और जींद जिलों की सम्पूर्ण मैपिंग का कार्य भी षुरू हो चुका है। सात जिलों नामतः करनाल, पलवल, रेवाड़ी, पंचकूला, यमुनानगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में आधुनिक राजस्व–रिकॉर्ड रूम परियोजना स्थापित की गई है और षेश जिलों में भी इस वर्श स्थापित की जाएंगी।

14. मेरी सरकार राज्य के पषुधन को उच्चकोटि की पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में 2.20 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। पहली सितम्बर, 2019 से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेरी सरकार एक संयुक्त टीके का उपयोग करके राज्य में गायों और भैंसों को मुंह–खुर की बीमारी से मुक्त बना रही है। वर्ष 2018–19 में राज्य का कुल वार्षिक दुग्ध उत्पादन 107.26 लाख टन तक पहुंच गया और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता बढ़कर 1,085 ग्राम हो गई है। इस सम्बन्ध में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। पशुधन के विकास और पषुपालकों की वित्तीय आवष्यकताओं को पूरा करने हेतु पषुपालकों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे।

15. हरियाणा में आई.टी. समर्थित समाधानों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 26.97 लाख परिवारों के 1.19 करोड़ लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हाल ही में, ई–वेईंग मशीनों को सभी उचित मूल्य की दुकानों में स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से जोड़ा गया है ताकि प्रणाली को अधिक विष्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। मेरी सरकार पांच जिलों अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक और यमुनानगर में पोशणयुक्त आटा वितरित कर रही है। मेरी सरकार का प्रयास रहेगा कि इसका विस्तार और जिलों में भी किया जाये ।

16. मेरी सरकार हर किसान को पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। रावी–ब्यास का हमारा न्यायोचित हिस्सा सतलुज–यमुना लिंक नहर के माध्यम से यथाशीघ्र हरियाणा में लाने के लिए हरसम्भव प्रयास किये जायेंगे। मेरी सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी टेलों तक पानी पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया है। अप्रैल, 2020 तक हमीदा हैड से इंद्री हैड तक डब्ल्यूजेसी एमएलएल की वर्तमान क्षमता 13,000 क्यूसिक से बढ़ाकर 17,530 क्यूसिक की जाएगी।

17. पिछले दो वर्षों में पष्चिमी यमुना कैनाल प्रणाली की क्षमता बढ़ाने से हरियाणा को मानसून के दौरान यमुना नदी से 30 प्रतिषत अतिरिक्त पानी पहले ही मिल रहा है, जबकि इससे पहले यह पानी व्यर्थ ही नदी में बह जाता था। मेरी सरकार एक योजना पर कार्य कर रही है, जिसके तहत मार्च 2022 तक पष्चिमी यमुना कैनाल की क्षमता में 40 प्रतिषत और वृद्धि की जाएगी।

18. राज्य में 2019 से षुरू किए गए 'जल शक्ति अभियान' के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गतिविधियां चलाई गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25,000 सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं स्थापित की गई हैं। भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए गांवों में 1.25 लाख से अधिक सोखता गड्ढों का निर्माण किया गया है। सुधार के लिए 4,000 तालाबों को चिह्नित किया गया है और 700 से अधिक तालाबों की गाद निकालने और गहरा करने का काम शुरू किया जा चुका है।

19. वर्श 2024 तक हर ग्रामीण घर में एक कार्यात्मक नल के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से जल पहुंचाने अर्थात् 'हर घर नल से जल' के लिए भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया गया है। मेरी सरकार ने इस लक्ष्य को दो वर्श पहले ही वर्श 2022 में हासिल करने का निर्णय लिया है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान प्रति कनेक्शन 2,000 रुपये के रोड कट शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति घरेलू नल कनेक्शन के लिए 500 रुपये के अग्रिम शुल्क का भुगतान करने का विकल्प भी दिया जा रहा है अथवा पेयजल आपूर्ति के लिए वर्तमान में सामान्य वर्ग से वसूल किये जा रहे 40 रुपये प्रतिमाह की जगह 50 रुपये तथा अनुसूचित जातियों के लिए षुल्क 20 रुपये प्रति माह की बजाय 30 रुपये प्रतिमाह होगा। इस मिषन में भारतीय मानक ब्यूरो के आई.एस.: 10500 के मानदण्ड के अनुरूप प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना प्रस्तावित है। मेरी सरकार द्वारा अब तक 2 लाख 75 हजार से अधिक पानी के कनेक्षन नियमित किए जा चुके हैं।

20. मुझे यह बताते हुए बड़ी खुषी हो रही है कि ताजा जल संसाधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए हरियाणा ने उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की नीति बनाई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जिलावार व्यापक और समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इस नीति के तहत राज्य सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी थर्मल पॉवर प्लांट्स को टावरों की कूलिंग व बिजली उत्पादन के दूसरे कार्यों के लिए ताजा पानी की बजाय ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके अलावा, प्रति दिन 1,000 किलो लीटर पानी का उपयोग करने वाले हर उद्योग को भी ताजा पानी के स्थान पर ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। यही नहीं, सभी षहरी निकायों में भी पेयजल को छोड़कर अन्य उद्देश्यों जैसे कि बगीचों, बागवानी और पार्कों आदि के लिए उपचारित जल का उपयोग करना होगा।

21. बेहतर जल प्रबंधन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 'अटल भूजल योजना' षुरू की गई है। इस योजना में सात राज्यों को षामिल किया गया है, जिनमें हरियाणा भी है। यह योजना हरियाणा के जल संकट वाले चयनित 36 खंडों में लागू की जाएगी।

22. मेरी सरकार राज्य में पूर्वानुमानित जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए तत्परता से काम कर रही है और हरियाणा देष का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने ट्रीटेड वेस्ट वाटर के साथ सूक्ष्म सिंचाई को लागू किया है। ताजा पानी की जगह ट्रीटेड वेस्ट वाटर का प्रयोग करने से नहरी पानी की बचत होगी और भू–जल पर निर्भरता कम होगी। भारत सरकार द्वारा 1,200 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई है, जिससे 1 लाख 20 हजार एकड़ क्षेत्र को लाभ होगा।

23. मेरी सरकार राज्य में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पर्याप्त और विष्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत 4,463 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। 'कृशि क्षेत्र के लिए अधिभार माफी योजना–2019' के तहत एक लाख ग्यारह हज़ार 817 किसानों के नलकूप बिजली बिलों की 23 करोड़ 79 लाख रुपये की जुर्माना राषि माफ की गई है।

24. एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि पिछले तीन वर्शों में दोनों बिजली वितरण निगमों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 30.02 प्रतिषत से घटकर 17.45 प्रतिषत रह गई हैं। इसके कारण वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और पिछले दो वर्षों के दौरान ये लाभ में रही हैं।

25. यह गर्व की बात है कि हरियाणा ने ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) 2019 में समग्र रैंकिंग के साथ–साथ राज्यों की अपनी समूह श्रेणी में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह राज्य में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मेरी सरकार के विनियामक सुधारों का परिणाम है। राज्य में उद्योगों और भवनों हेतु ऊर्जा ऑडिट षुरू करने, एलईडी लाइट, वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना अनिवार्य करने की अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा बीईई 5 स्टार रेटिड कृशि पंप सैट वितरित करने के प्रयासों की भी व्यापक सराहना हुई है।

26. मेरी सरकार जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास के प्रयासों में अग्रणी रहें। मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। मेरी सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्धित विधायक की अनुषंसा पर हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पांच–पांच करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराने का वादा किया है। ग्राम पंचायतों को और सषक्त करने के उद्देष्य से सरकार ने ग्राम पंचायतों को स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवषेश जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की हैं। यदि ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या में से दस प्रतिषत सदस्य, गांव की सीमा में षराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रस्ताव पारित करने की षक्ति दी गई है।

27. अंतर जिला परिशद् का गठन स्थानीय निकायों के सषक्तिकरण की दिषा में मेरी सरकार की एक अग्रणी पहल है। यह राज्य की प्राथमिकताओं पर परिचर्चा करने का एक मंच है। इस परिशद् में राज्य के सभी भागों के षहरी स्थानीय निकायों, जिला परिशदों और पंचायत समितियों के प्रतिनिधियों को षामिल किया गया है। इस परिशद् की अब तक हुई बैठकों में स्थानीय निकायों को और अधिक कार्य, निधियां व कर्मियों का अंतरण करने के लिए कई सिफारिषें की गई हैं। इनमें से कई सिफारिषें लागू की जा चुकी हैं और मेरी सरकार अंतर जिला परिशद् के विचार–विमर्ष के माध्यम से षहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की षक्तियों और दायित्वों को समुचित रूप से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

28. 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम षासन' के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा राज्य एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, ताकि 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' के लिए वैष्विक मानकों के अनुरूप माहौल तैयार किया जा सके। मेरी सरकार

रोजगार के समुचित अवसर सृजित करने के लिए महत्वाकांक्षी सुधारों और कदमों पर निरंतर बल देती रहेगी। इसके लिए ग्रीन फील्ड निवेष को बढ़ावा देकर राज्य के सभी क्षेत्रों में उद्योगों और उद्यमों का विस्तार किया जाएगा।

29. मेरी सरकार निवेष को बढ़ावा देने और हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिष्चित करने के लिए कृषि कारोबार और खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स व रिटेल, फार्मास्यूटिकल और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से संबंधित राज्य की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विषेश बल देगी। मेरी सरकार डेटा सेंटर नीति और विद्युत वाहन नीति तैयार करने की भी प्रक्रिया में है। राज्य सरकार एमएसएमई को वैष्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहायता करने के व्यापक दृष्टिकोण पर चलती रहेगी।

30. प्राकृतिक संसाधनों की कमी और समुद्री बंदरगाहों से दूर होने के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। वर्श 1967–68 के दौरान राज्य से 4.5 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था, जो वर्श 2018–19 में बढ़कर लगभग 98,570.24 करोड़ रुपये हो गया। निर्यात की मात्रा के मामले में हरियाणा इस समय देश में पांचवें स्थान पर है।

31. मेरी सरकार ने पंजीकृत व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं अर्थात् दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' और सामान के स्टॉक व फर्नीचर आदि के नुकसान की भरपाई के लिए 'मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना' षुरू की हैं। मेरी सरकार इन बीमा योजनाओं के लाभार्थियों की ओर से सम्पूर्ण प्रीमियम का भुगतान करेगी। अब तक इस योजना के अंतर्गत 3.13 लाख करदाताओं को पंजीकृत किया गया है।

32. हरियाणा राज्य ने चालू वित्त वर्ष में राज्य जीएसटी राजस्व के तहत 18.44 प्रतिषत की बेहतरीन वृद्धि दर्ज की है। जीएसटी के तहत रिफंड देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और स्वचालित करके मानव हस्तक्षेप को खत्म किया गया है। रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी, दोनों का रिफण्ड एक ही कार्यालय से देने की व्यवस्था की गई है।

33. मेरी सरकार ने विकास योजनाओं को षीघ्र अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया है। तदनुसार पहली अप्रैल, 2019 के बाद 9 विकास योजनाओं के प्रारूपों और 10 अंतिम विकास योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। अब तक कुल 46 अंतिम विकास योजनाओं और 29 प्रारूप विकास योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विस्तारित हरियाणा उप–क्षेत्र के लिए उप–क्षेत्रीय योजनाएं अनुमोदित

की गई हैं। इससे करनाल, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों तथा एनसीआर में जोड़े गये नये जिलों में मुख्य ढांचागत विकास कार्यों को गति मिलेगी।

34. अनधिकृत कॉलोनियों को नियंत्रित करने व 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दीन दयाल जन आवास योजना षुरू की गई थी। इसके मानदंडों और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष 431 एकड़ क्षेत्र के लिए कुल 49 लाइसेंस प्रदान किए गए, जिससे लगभग एक लाख 18 हजार लोगों के लिए नई आवासीय सुविधा सृजित हुई है।

35. मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी पालिकाएं सषक्त षासन संस्थानों के रूप में उभरें। हमारा उद्देष्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और विकास कार्यों पर उनके स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिषन (अमरुत) के तहत 2,521 करोड़ 35 लाख रुपये की राषि से षहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने के लिए विकास कार्य पूरे जोरों पर चलाए जा रहे हैं। अमरुत के अंतर्गत आने वाले सभी षहरी स्थानीय निकायों के जीआईएस एप्लीकेशन–आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रगति पर है, जिसके इस साल पूरा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 650 आवासीय इकाइयां पूरी हो चुकी हैं और 7,781 आवासीय इकाइयों का निर्माण जारी है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 85 करोड़ 45 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है। लाभार्थी द्वारा निर्मित ईडब्ल्यूएस आवास निर्माण योजना के तहत 5,000 और ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण 31 मार्च, 2020 तक पूरा होने की संभावना है।

36. संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करने के लिए, केन्द्रीयकृत जीआईएस आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण चल रहा है, जो सटीक आयामों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चित्रों के साथ प्रत्येक संपत्ति को विषिश्ट संपत्ति आईडी (डिजिटल डोर नंबर) प्रदान करेगा। इससे नागरिक अपनी संपत्तियों का स्व–आकलन कर सकेंगे। इस प्रणाली से स्थानीय निकायों के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि होने की भी सम्भावना है।

37. मेरी सरकार प्रत्येक गांव के लिए एक एकीकृत वनीकरण योजना बना रही है। वर्श 2020–21 के दौरान राज्य के लगभग 6,841 गांवों में से 1,100 गांवों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। किसान अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे। पंचायत की जमीनों पर फलों के बाग लगाए जायेंगे, जिससे पंचायत की आय में बढ़ोतरी के अतिरिक्त पर्यावरण में कार्बन की मात्रा कम भी होगी। जहां 2 एकड़ तक भूमि उपलब्ध होगी, वहां पंचायतों की सहमति से जैव–विविधता हेतु सघन पौधारोपण किया जाएगा,

जिससे यह स्थल आक्सीजन–पार्क का कार्य करेंगे। पौधागिरी तथा जल षक्ति अभियान के तहत स्कूलों, घरों तथा जोहड़ों को भी षामिल किया जाएगा। इससे प्रत्येक गांव में जल स्तर में सुधार के साथ–साथ सतत् विकास होगा तथा आने वाले वर्शों में राज्य में 20 प्रतिषत वन क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को 'राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन कोश' के लिए हाल ही में 1,282 करोड़ 65 लाख रुपये की राषि उपलब्ध कराई है। इस राषि में से हर वर्श 10 प्रतिषत राषि पौधारोपण के लिए उपयोग की जाएगी। इस परियोजना के तहत 211 करोड़ रुपये की लागत से 1,333 हैक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा और वन्यजीव संरक्षण पहलों पर काम किया जाएगा।

38. मेरी सरकार ने खनन गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया है। छोटे खनन क्षेत्रों को ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित करने की प्रक्रिया से खनन क्षेत्र में रुचि रखने वाले छोटे उद्यमियों को भी अवसर मिले हैं। खनन से 31 जनवरी, 2020 तक 532 करोड़ 81 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

39. मेरी सरकार ने राज्य में खनिजों की ढुलाई के लिए ई–रवाना बिलिंग शुरू करके एक बड़ी पहल की है। इस नई व्यवस्था से न केवल खनिज ढुलाई पर प्रभावी रूप से नियंत्रण होगा बल्कि निगरानी करने में सुविधा रहेगी तथा खनिज कर एवं अन्य करों की वसूली में सुधार होगा।

40. मेरी सरकार हर नागरिक को गुणवत्तापरक, अत्याधुनिक और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत 7 प्रकार की सेवाएं, जैसे कि सर्जरी, लैब टेस्ट, निदान, ओपीडी व इनडोर सेवाएं, दवाएं, रैफरल ट्रांसपोर्ट और दंत चिकित्सा उपचार निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। यह अत्यन्त संतोष की बात है कि राज्य में संस्थागत प्रसूति दर दिसम्बर, 2019 तक बढ़कर 93.7 प्रतिशत हो गई। जन्म के समय लिंगानुपात तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में यह 923 (सिविल पंजीकरण प्रणाली दिसम्बर, 2019) है।

41. आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत कैशलेस और पेपरलेस तरीके से देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से लगभग 1,350 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत, हरियाणा समय पर भुगतान करने और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। वर्श 2018–19 में राज्य में कुल 432 हेल्थ एण्ड वैलनेस केंद्रों को चालू किया गया और इस परिचालन के लिए हमारा राज्य देष में तीसरे स्थान पर है।

42. स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हरियाणा द्वारा 96 प्रतिषत सम्पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त किया गया है और वित्त वर्ष 2019–20 में 100 प्रतिषत से अधिक कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन के तहत हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम दर्जा दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र की उत्कृश्ट सेवाओं के लिए 13 प्रतिषत की दर से अधिकतम 71 करोड़ 72 लाख रुपये का बोनस मिला है। नीति आयोग द्वारा जून, 2019 में जारी स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा को स्वास्थ्य क्षेत्र की उत्कृश्ट सेवाओं के लिए अन्य राज्यों की तुलना में 6.55 अंकों की उच्चतम वृद्धि हासिल हुई है।

43. राज्य में आयुर्वेदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला नारनौल के गांव पट्टीकरा में एक नया राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित किया गया है। मेरी सरकार 47 करोड़ रुपये की लागत से जिला अंबाला में एक होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल भी स्थापित कर रही है। जिला झज्जर के देवरखाना गांव में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के लिए 83 कनाल भूमि केंद्र सरकार को दी गई है। मेरी सरकार 22 करोड़ रुपये की लागत से पंचकूला में एक आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला एवं मुख्यालय भवन स्थापित करेगी, जिसके लिए भूमि आवंटित कर दी गई है।

44. मेरी सरकार विद्यालय षिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर निरन्तर बल देती रहेगी। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्र अपनी आयु/ग्रेड के अनुरूप षिक्षण स्तर प्राप्त करें। माध्यमिक कक्षाओं में भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम में महत्वपूर्ण सुधार हो। मेरी सरकार ने शिक्षा और सीखने के परिणामों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 119 ब्लॉकों में मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

45. मेरी सरकार मौजूदा कॉलेजों के स्टाफ और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएगी। मेरी सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए दिषा–निर्देष के अनुरूप, वर्श 2020 तक राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् से मान्यता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाएगी। राज्य के सभी कॉलेजों में डिजिटल और ई–लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 'परिवर्तन और नवाचार हेतु हरियाणा में सूचना अध्ययन में डिजिटल क्रांति' (दृश्टि) नामक कार्यक्रम षुरू किया गया है। छात्राओं के लिए विषेश बस सेवाएं षुरू की गई हैं। सत्र 2019–20 से प्रदेष में 5 नए राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान और 4 नए निजी

औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, 22 नए राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

46. मेरी सरकार युवाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें रचनात्मक रूप से लाभप्रद कामों में लगा रही है। सक्षम युवा योजना के तहत अब तक कुल 96,772 पंजीकृत षिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर मास 100 घंटे का मानद कार्य दिया गया है। 10,906 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

47. मेरी सरकार ने रोजगार सृजन और बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न निजी उद्यमों के साथ भागीदारी की है। सक्षम हरियाणा अभियान के तहत ओला, उबर, जी4एस, जोमैटो और स्विगी के साथ एमओयू करके 65,438 बेरोजगार युवाओं को कैब/टैक्सी ड्राइवरों (सक्षम सारथी), सुरक्षा गार्ड (सक्षम रक्षक) और खाद्य पदार्थ वितरकों के रूप में रोजगार दिया गया है। विभाग अन्य रोजगार प्रदाताओं के साथ भी इसी प्रकार के समझौते कर रहा है ताकि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को लाभप्रद रोजगार मिल सके। रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं के पंजीकरण के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया जा चुका है ताकि नियोक्ताओं को बेरोजगार युवाओं का विवरण मिल सके और वे अपनी आवष्यकता के अनुरूप सुगमता से योग्य युवाओं का चयन कर सकें।

48. मेरी सरकार श्रमिकों के पारिश्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरें साल में दो बार संषोधित की जाती हैं। वर्तमान में अकुशल श्रमिकों के लिए 9024 रुपये 24 पैसे प्रति माह मानदेय निर्धारित किया गया है। असंगठित मजदूरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत पंजीकरण में हरियाणा राज्य देश में शीर्ष पर है।

49. निर्माण श्रमिकों की विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों पर 209.23 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 1,52,105 लाभ प्रदान किए जा चुके हैं। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चालू वित्त वर्श के दौरान 42.50 करोड़ रुपये के 83,816 लाभ वितरित किये गये हैं।

50. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए 'हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018' के तहत 49 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की पेषकष की है। वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए 195 करोड़ 5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए हैं।

12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्यव्यापी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 3 लाख 70 हज़ार नागरिकों ने रुचि ली।

51. मेरी सरकार ने राज्य कला एवं संस्कृति नीति 'कलश' (कला एवं संस्कृति हरियाणा) बनाई है जो हरियाणा की कला एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा, संरक्षण, बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर आधारित है। प्राचीन संस्कृति के संरक्षण और उसकी पहचान के लिए मेरी सरकार ने सभी राज्य संरक्षित स्मारकों की योजना और बाहरी डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने की एक परियोजना शुरू की है। हरियाणा में हड़प्पा स्थलों की परियोजना पर चल रहे कार्य की एक एटलस प्रकाषित की जाएगी। पंचकूला के सेक्टर–5 में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है और जिला हिसार के गांव राखी–गढ़ी में एक स्थल–संग्रहालय और व्याख्या केंद्र निर्माणाधीन है।

52. मेरी सरकार ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक 'विज्ञान सिटी' स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये होगी। अम्बाला छावनी में 30 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 5 एकड़ भूमि पर एक विज्ञान केंद्र (श्रेणी–प्प) स्थापित किया जा रहा है।

53. मेरी सरकार डिजीलॉकर, आधार नामांकन और तीव्र मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से ई–गवर्नेंस सेवाओं व योजनाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंचकूला में एक नया राज्य डेटा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इस केन्द्र के दो से तीन वर्षों में पूरा होने की संभावना है। नागरिकों की सुविधा के लिए, रिंग आर्किटेक्चर और वाईफाई हॉटस्पॉट्स का कार्यान्वयन करके इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु मौजूदा भारतनैट (नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क) का विस्तार करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है ताकि नागरिक–केंद्रित सेवाओं के लिए ग्राम पंचायतों को विश्वसनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा सके।

54. ई–ऑफिस परियोजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें हरियाणा सरकार के सभी विभागों में फाइलों और दस्तावेजों की इलैक्ट्रॉनिक संचलन षामिल है। इसमें विभाग के सभी परिपत्रों और अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए प्रत्येक विभाग का एक पोर्टल बनाया जाएगा। सरकारी विभागों व जिलों की आंतरिक कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आईटी कैडर संसाधनों को अनुबंधित किया जा रहा है। सभी जिला वेबसाइटों

का मानकीकरण किया जा चुका है और विभागीय वेबसाइटों का मानकीकरण किया जा रहा है।

55. मेरी सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए समय–समय पर लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाने व हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार और अनिवासी भारतीयों व भारतीय मूल के लोगों के कल्याण के लिए एक नया विभाग बनाने का निर्णय लिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सिस्टर प्रोविंसेज एंड ट्विन सिटीज प्रोग्राम के तहत विदेष के शहरों के साथ बेहतर तालमेल बनेगा।

56. मेरी सरकार ने कर्मचारियों को तैनाती अवधि की सुरक्षा प्रदान करने और किसी भी खण्ड या जिले में विभागों के अधिषेश पदों पर अंकुष लगाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। यह नीति 5 विभागों के एक लाख से अधिक कर्मचारियों पर पहले ही लागू है। इसे 500 या इससे अधिक स्वीकृत पदों वाले 13 अन्य विभागों के करीब 58,000 कर्मचारियों पर षीघ्र ही लागू किया जाएगा।

57. सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सभी विभागों में सामान्य डेटाबेस, सामान्य अनुप्रयोग, सामान्य नेटवर्क और सूचना विज्ञान (भू–सूचना विज्ञान सहित) को बढ़ावा देने और विकास के लिए 'नागरिक संसाधन सूचना' नामक एक नया विभाग गठित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना षुरू की गई है, जिसके तहत ऐसे परिवारों, जिनकी वार्शिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और भूमि जोत पांच एकड़ तक है, को बीमा और पेंषन स्कीमों के लिए लाभग्राही के अंषदान हेतु 6,000 रुपये की वार्शिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद यदि कोई राषि बचती है, तो वह नकद दी जाएगी या परिवार भविश्य निधि में जमा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत परिवारों का पंजीकरण षुरू हो चुका है और 18 फरवरी, 2020 तक सामान्य सेवा केन्द्रों व सरल केन्द्रों में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पोर्टल पर लगभग 3 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है परन्तु भुगतान सत्यापित लाभार्थियों को ही किया जा रहा है।

58. 'मुख्यमंत्री विवाह षगुन योजना' के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों जैसे कि – बीपीएल अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों/टपरीवास जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों, विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं तथा महिला खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की अथवा उनकी बेटी की शादी के अवसर पर 11,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 30 नवम्बर, 2019 तक 20,592 विवाहों पर 68.83 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

59. मेरी सरकार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे कि वरिश्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, बौनों, निराश्रित बच्चों, एक या एक से अधिक बेटी वाले अभिभावकों, स्कूल न जा रहे दिव्यांग बच्चों और कष्मीरी विस्थापितों को सामाजिक सुरक्षा पेंषन दे रही है। पहली जनवरी, 2020 से पेंषन में 250 रुपये प्रति मास की वृद्धि की गई है। वर्श 2019–20 के दौरान 27.94 लाख से अधिक लाभानुभोगियों के लिए 6496.58 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

60. किसानों और मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेष की मंडियों और चीनी मिलों में 'अटल किसान–मजदूर कैंटीन' स्थापित की जा रही हैं और इस वर्श 25 ऐसी कैंटीनें स्थापित की जाएंगी। पांच मार्केट कमेटियों नामतः करनाल, भिवानी, नूंह, पंचकूला व फतेहाबाद तथा सहकारी चीनी मिल, करनाल में ये कैंटीनें संचालित की जा चुकी हैं।

61. मेरी सरकार महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इसके लिए केंद्र सरकार की सहायता से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, समेकित बाल विकास योजना, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना, पोषण अभियान, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर और राज्य संसाधन केंद्र इत्यादि जैसे कई कार्यक्रम चला रहे हैं।

62. 10 से 45 वर्ष की आयु की गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग की किशोरियों और महिलाओं में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में लगभग 11 लाख बीपीएल परिवारों को निःषुल्क सेनेटरी नैपकिन दिए जाएंगे।

63. मेरी सरकार हरियाणा को महिलाओं के लिए और अधिक सुरक्षित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार राज्य में एक जन आंदोलन के माध्यम से घरों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने का प्रयास करेगी। मेरी सरकार महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करेगी और सभी तरह की पुलिस सहायता उपलब्ध करवाएगी। मेरी सरकार लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के मुद्दों के प्रति हर किसी को संवेदनशील बनाने के लिए व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाएगी। इसके साथ ही, मेरी सरकार कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रयास करेगी।

64. मेरी सरकार नागरिकों को सुरक्षित, कुशल, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल आधुनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समय हरियाणा के 41 विभिन्न वर्गों के लोगों को हरियाणा परिवहन की सामान्य बसों में निःषुल्क या रियायती दर पर यात्रा सुविधा प्रदान करके सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है। छात्राओं को उनके आवास स्थान से षिक्षण संस्थान तक राज्य में 150 किलोमीटर की दूरी तक की निःषुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। महिला सुरक्षा की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए हरियाणा परिवहन द्वारा विभिन्न 173 मार्गों पर 217 बसें केवल लड़कियों व महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। इन सुविधाओं को निकट भविश्य में और अधिक बढ़ाया जाएगा।

65. मेरी सरकार हरियाणा परिवहन के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है तथा परिवहन सेवाओं में और सुधार करने के लिए किलोमीटर स्कीम के तहत हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा संचालित, किराए पर ली गई बसों को षामिल किया जा रहा है। इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के लिए निजी टैक्सी संचालक (मैक्सी कैब्स) को अनुबंधित कैरिज परमिट प्राप्त करने और पूर्व निर्धारित उन मार्गों पर संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो वर्तमान में, पारंपरिक सार्वजनिक परिवहन सेवा से वंचित हैं।

66. मेरी सरकार ने राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं षुरू की हैं, जिनमें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना–पलवल से सोनीपत वाया सोहना–मानेसर–खरखौदा
(130 कि०मी० विद्युतीकृत नई ब्रॉड गेज डबल लाइन परियोजना) षामिल है। यह दिल्ली को बाइपास करते हुए पलवल–सोहना–गुरुग्राम को जोड़ते हुए उत्तरी हरियाणा से सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। जींद–हांसी नई रेलवे लाइन (50 किमी) और करनाल–यमुनानगर नई रेलवे लाइन (61 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी अंतिम रूप देकर रेल मंत्रालय को भेजा गया है। कुरुक्षेत्र शहर में 5 लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए एलिवेटेड रेलवे लाइन की एक परियोजना भी स्वीकृत की गई है। प्रस्तावित सराय काले खां–करनाल रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर से इस क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। इसमें कुल 20 स्टेशन (दिल्ली में 6 और हरियाणा में 14) होंगे। इसकी कुल लम्बाई 133.70 किलोमीटर होगी और इस परियोजना की अनुमानित लागत 34 हजार 400 करोड़ रुपये होगी।

67. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना–ष्ष् के तहत 2,500 किलोमीटर लम्बे सड़क निर्माण/सुधार के लिए सांकेतिक

आवंटन कर दिया गया है। चालू वित्त वर्श 2019–2020 में नाबार्ड स्कीम के तहत 296. 32 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 138 करोड़ 33 लाख रुपये लागत की 40 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

68. मेरी सरकार निवारक पुलिस व्यवस्था की नीति का अनुसरण कर रही है और अपराधों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रभावी कदम उठा रही है। इसके परिणामस्वरूप, अपराध के महत्वपूर्ण षीर्शों जैसे कि – हत्या, चोट, अपहरण और छेड़छाड़ के पंजीकृत अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 5 प्रतिषत तथा सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 4 प्रतिषत की कमी आई है।

69. नषे के मुद्दे पर मेरी सरकार की नीति गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों को शामिल करके एक बहु–हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की है। सरकार के प्रयास इसकी मांग कम करने और आपूर्ति को रोकने पर केंद्रित होंगे। इस दिषा में हर जिले में एंटी–नारकोटिक सेल (मादक–पदार्थ विरोधी प्रकोश्ठ) स्थापित किए गए हैं, यह 'विषेश कार्य बल' राज्य पुलिस की 'एंटी–नारकोटिक्स विंग' के रूप में कार्य करेगा। 'हरियाणा नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट ब्यूरो' की स्थापना का प्रस्ताव भी इस समय विचाराधीन है। पंचकूला में एक 'अन्तर्राज्यीय ड्रग सचिवालय' स्थापित किया गया है। यह सचिवालय पड़ौसी राज्यों से गहन समन्वय स्थापित कर सही समय पर जानकारी सांझा करता है। हरियाणा पुलिस बल में नए भर्ती किए गए 5,192 सिपाही 9 जनवरी, 2020 से षामिल हुए हैं। इनमें 1,000 महिला सिपाही षामिल हैं। प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे 450 उप–निरीक्षकों, जिनमें 60 महिला उप–निरीक्षक भी हैं, के मार्च, 2020 तक पुलिस बल में षामिल होने की संभावना है। इससे पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा राज्य में सुरक्षा में सुधार होगा।

70. माननीय सभासदो! मेरी सरकार का उद्देश्य प्रभावी, जवाबदेह, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन प्रदान करना है। मेरी सरकार 'सबका साथ–सबका विकास' तथा 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' के सिद्धांत में विश्वास रखती है। सरकार समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने तथा हर क्षेत्र तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विष्वास है कि इस गरिमामयी सदन में हरियाणा के लोगों के कल्याण के विभिन्न मुद्दों पर जो गहन विचार–मंथन होगा, वह इस प्रतिबद्धता को साकार रूप देने में सहायक सिद्ध होगा। आपके बहुमूल्य सुझाव सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को और अधिक कारगर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

वंदे मातरम!

जय हिन्द!

.....

भोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के बाद और इस सत्र के प्रारम्भ होने से पहले जो महान विभूतियां इस संसार को छोड़कर चली गई हैं, ऐसी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं :–

चौधरी खु□र्शीद अहमद, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी खुर्शीद अहमद के 17 फरवरी, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 20 जून, 1934 को हुआ। वे वर्ष 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा वर्ष 1968, 1977, 1987 तथा 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1968–72, 1979–82 तथा 1987–89 के दौरान मंत्री रहे। उन्होनें मंत्रिमंडल में रहते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, स्थानीय शासन, विकास तथा पंचायत, नगर तथा ग्राम आयोजना, शहरी सम्पदा, वित्त, संसदीय मामले, मछली पालन, निर्वाचन तथा वक्फ जैसे महत्त्वपूर्ण विभागों को कुशलता से संभाला। वे वर्ष 1988 में लोक सभा के लिए चुने गये। वे वर्ष 1982–84 के दौरान राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने मेवात क्षेत्र के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

चौधरी उदय सिंह दलाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी उदय सिंह दलाल के 13 फरवरी, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 16 अगस्त, 1928 को हुआ। वे वर्ष 1978 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे हरको बैंक के चेयरमैन भी रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री छोटू राम, गांव धौड़, जिला झज्जर के 16 फरवरी, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

हरियाणा के शहीद

यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. सिपाही सुनील कुमार, गांव बव्वा, जिला रेवाड़ी।
2. सिपाही कपिल सिंह, गांव चेलावास, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सिपाही पवन, गांव चिमनी, जिला झज्जर।
4. सिपाही नवीन जून, गांव देसलपुर, जिला झज्जर।
5. सिपाही जय सिंह, गांव मसीत, जिला रेवाड़ी।
6. सिपाही आजाद सिंह, गांव मालसरी खेड़ा, जिला जींद।
7. सिपाही अनिल कुमार, गांव मदनहेड़ी, जिला हिसार।

यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता है और शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

———

यह सदन

विधायक श्री असीम गोयल के ससुर, **श्री फकीर चंद गर्ग;**

विधायक श्री गोपाल कांडा की चाची, **श्रीमती सावित्री देवी;**

तथा

पूर्व विधायक श्री सुरजीत कुमार धीमान की पत्नी, **श्रीमती राम प्यारी;** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

————

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई) : अध्यक्ष महोदय, जैसा सदन के नेता ने बताया कि पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे कुछ साथी हमें छोड़कर चले गए और इस दौरान बहुत सारे जवान भी शहीद हो गए। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी खुर्शीद अहमद के 17 फरवरी, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 20 जून, 1934 को हुआ। वे वर्ष 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा तथा वर्ष 1968, 1977, 1987 तथा 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1968–72, 1979–82 तथा 1987–89 के दौरान मंत्री रहे। उन्होंने मंत्रिमण्डल में रहते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, स्थानीय शासन, विकास तथा पंचायत, नगर तथा ग्राम आयोजना, शहरी सम्पदा, वित्त, संसदीय मामले, मछली पालन, निर्वाचन तथा वक्फ जैसे महत्वपूर्ण विभागों को कुशलता से सम्भाला। वे वर्ष 1988 में लोक सभा के लिए चुने गये। वे वर्ष 1982–84 के दौरान राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने मेवात क्षेत्र के उत्थान के लिए कार्य किया। आज भी उनके सुपुत्र श्री आफताब अहमद हमारे साथ विधान सभा के सदस्य हैं जोकि उन्हीं के द्वारा दिखाये हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी उदय सिंह दलाल के 13 फरवरी, 2020 को हुए दुःखद

निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 16 अगस्त, 1928 को हुआ। वे वर्ष 1978 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे हरको बैंक के चेयरमैन भी रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी श्री छोटू राम, गांव धौड़, जिला झज्जर के 16 फरवरी, 2020 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार से हैं :–

1. सिपाही सुनील कुमार, गांव बव्वा, जिला रेवाड़ी।
2. सिपाही कपिल सिंह, गांव चेलावास, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सिपाही पवन, गांव चिमनी, जिला झज्जर।
4. सिपाही नवीन जून, गांव देसलपुर, जिला झज्जर।
5. सिपाही जय सिंह, गांव मसीत, जिला रेवाड़ी।
6. सिपाही आजाद सिंह, गांव मालसरी खेड़ा, जिला जींद।
7. सिपाही अनिल कुमार, गांव मदनहेड़ी, जिला हिसार।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता हूं और शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से विधायक श्री असीम गोयल के ससुर श्री फकीर चंद गर्ग, विधायक श्री गोपाल कांडा की चाची श्रीमती सावित्री देवी तथा पूर्व विधायक श्री सुरजीत कुमार धीमान की पत्नी श्रीमती राम प्यारी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, चौधरी खुर्शीद अहमद जो मेवात के एक बहुत बड़े टावरिंग नेता थे। वे पंजाब में भी विधान सभा के सदस्य रहे। उस समय वे सबसे कम उम्र के विधायक थे। He was a legendary political personality in the Haryana politics also. उसके बाद वे 4 बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी रहे और वर्ष 1988 के उप–चुनाव में वे लोकसभा के सदस्य बने। उनके पिता जी चौधरी कबीर अहमद भी इसी सदन के दो बार सदस्य रहे तथा उनके बेटे चौधरी आफ़ताब अहमद भी इस समय इस सदन के सदस्य हैं। चौधरी खुर्शीद अहमद बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदना प्रकट की हैं मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान् आत्माओं की शांति के लिए खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

हरियाणा विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारणी प्रस्तुत करता हूं:–

''समिति की बैठक वीरवार, 20 फरवरी, 2020 को प्रातः 10.00 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक वीरवार, 20 फरवरी, 2020 को प्रातः

11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ होगी तथा 2.30 बजे मध्याह्न–पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

वीरवार, 20 फरवरी, 2020 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि सोमवार, 24 फरवरी, 2020 को विधान सभा की बैठक 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं स्थगित होगी तथा मंगलवार, बुधवार, वीरवार तथा शुक्रवार को 11:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.30 बजे मध्याह्न–पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि सोमवार, 2 मार्च, 2020 को विधान सभा की बैठक 2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् आरम्भ होगी तथा 6.30 बजे सायं स्थगित होगी तथा मंगलवार को 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 2.30 बजे सायं स्थगित होगी तथा बुधवार को 11:00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा उसी दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 20 फरवरी, 2020, 24 फरवरी, 2020 से 28 फरवरी, 2020, 2 मार्च 2020 से 4 मार्च 2020, को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः–

20 फरवरी, 2020 को राज्यपाल महोदय के अभिभाशण की समाप्ति के तुरन्त आधा घंटा प□चात् सदन की बैठक होगी।	1. सदन की मेज़ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। 2. शोक प्रस्ताव। 3. कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले कागज–पत्र।
शुक्रवार, 21 फरवरी, 2020	छुट्टी।
शनिवार, 22 फरवरी, 2020	छुट्टी।
रविवार, 23 फरवरी, 2020	छुट्टी।
सोमवार, 24 फरवरी, 2020	1. प्रश्न काल।

(2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात)	2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा।
मंगलवार, 25 फरवरी, 2020 (11.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।
बुधवार, 26 फरवरी, 2020 (11.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान। 3. वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 4. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
वीरवार, 27 फरवरी, 2020 (11.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. गैर–सरकारी कार्य।
शुक्रवार, 28 फरवरी, 2020 (11.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2020–2021 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
शनिवार, 29 फरवरी, 2020	छुट्टी।
रविवार, 1 मार्च, 2020	छुट्टी।
सोमवार, 2 मार्च, 2020 (2.00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2020–2021 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा।

मंगलवार, 3 मार्च, 2020 (11.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2020–2021 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा वर्ष 2020–2021 के लिए बजट अनुमानों पर तथा वर्ष 2020–2021 के लिए अनुदानों की मांगों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर। 3. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव। 4. वर्ष 2019–2020 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 5. विधान कार्य।
बुधवार, 4 मार्च, 2020 (11.00 बजे प्रातः)	1. प्रश्न काल। 2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 4. रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों। 5. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 6. वर्ष 2020–2021 के लिए बजट अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 7. विधान कार्य। 8. कोई अन्य कार्य।''

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

श्री बि□ान लाल (रादौर) : अध्यक्ष महोदय, 21 जनवरी और 22 जनवरी को पंचकूला में विधायकों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था जिसमें आपने वादा किया था कि सभी विधायकों को बजट पर बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। अब आपने बजट पर बोलने के लिए 2 मार्च और 3 मार्च को सिर्फ दो दिन ही दिये हैं और इतने कम समय में बजट पर बहुत कम विधायक ही बोल पाएंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि बजट पर चर्चा का समय दो दिन नहीं तो एक दिन और बढ़ा दिया जाए क्योंकि इसके लिए आपने सभी विधायकों से वादा भी किया था।

श्री अध्यक्ष : बिशन लाल जी, अगर सदन की सहमति है तो मुझे बजट पर चर्चा की अवधि को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बि□ान लाल : अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा की अवधि कम से कम एक दिन और बढ़ानी चाहिए क्योंकि इतने कम समय में सभी विधायक बजट पर नहीं बोल पाएंगे।

श्री अध्यक्ष : बिशन लाल जी, अगर 3 तारीख को हमें लगेगा कि सभी विधायकों को बजट पर बोलने का मौका नहीं मिल पाया है तो हम सदन की सहमति से बजट पर चर्चा की अवधि को एक दिन और बढ़ा सकते हैं।

श्री बि□ान लाल : अध्यक्ष महोदय, कहने को तो सदन 8–9 दिन चलेगा लेकिन इसके बीच में 5–6 तो छुट्टियां हैं।

श्री अध्यक्ष : बिशन लाल जी, आज प्रातः बी.ए.सी. की मीटिंग में जो डिसाईड हुआ है वह मैंने आपके सामने रखा है क्योंकि सदन सुप्रीम है।

श्री बि□ान लाल : सर, मेरा अनुरोध है कि बजट पर चर्चा की अवधि के लिए एक दिन और बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बिशन लाल जी, अगर बजट पर चर्चा की अवधि बढ़ानी होगी तो वह उसी समय अर्थात 3 तारीख को देख लेंगे।

श्री बि□ान लाल : अध्यक्ष महोदय, इतने कम समय में सभी विधायकों को बजट पर चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा फिर उसमें कुछ विधायक हाथ खड़े रखेंगे लेकिन उन्हें बजट पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : बिशन लाल जी, 3 तारीख को अगर हमें लगेगा कि बजट पर चर्चा की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है तो सदन की सहमति से हम बजट पर चर्चा की अवधि को बढ़ा लेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दिनांक 2 मार्च, 2020 तथा 3 मार्च, 2020 को बजट चर्चा के लिए नियत किया गया है लेकिन जिस प्रकार से सदन में बजट चर्चा की समयावधि लंबी करने की बात उठ रही है, उस परिपेक्ष्य में मेरा आग्रह है कि यदि 3 मार्च, 2020 को अगर लगेगा कि बजट पर चर्चा के लिए माननीय सदस्यों को ज्यादा समय की आवश्यकता है तो उस दिन हालात के मद्देनज़र सदन की सहमति से बजट पर चर्चा की समयावधि को लंबा किया जा सकता है।

श्री अध्यक्षः सैनी जी, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपकी बात के लिए अपनी सहमति जता दी है, अतः आप अब प्लीज बैठिए।

श्री बिशन लालः अध्यक्ष महोदय, ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ:–

भारत के संविधान की धारा 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 48/कांस्ट./आर्ट. 320/2019 दिनांकित 6 नवम्बर, 2019.

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 जनवरी, 2020.

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल की लेखा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017–2018 के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल की लेखा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (1.1.2018 से 31.12.2018) के लागू होने पर राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की 13वीं रिपोर्ट ।

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 मध्याह्न पश्चात् 2:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*12.02 (तत्पश्चात् सभा सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 मध्याह्न पश्चात् 2:00 बजे तक के लिए * स्थगित हुई।)